तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेम जैन बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 89/2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021/195)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.01.2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2021–22/353–56 दिनांक 17.9.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 लगा04 की सूचना चाही गई। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2549 दिनांक 13.8.2021 के साथ प्रेशित 5 प्रतियों की सूचना फीस जमा कराने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.8.2021 को सूचना प्राप्त करली गई। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2788 दिनांक 25.8.2021 के साथ प्रेशित 3 प्रतियों की सूचना फीस जमा कराने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.8.2021 को प्राप्त करली गई। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक स्था0/3531 दिनांक 27.9.2021 के द्वारा बिन्दु संख्या–1 में आवेदक द्वारा सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण पूर्व में सूचना नहीं दी गई। अपील में आवेदक द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 185 दिनांक 16.7.2021, 188 दिनांक 20.7.2021 एंव 194 दिनांक 24.7.2021 का स्पष्ट अंकन होने के कारण उक्त आदेशों की प्रमाणित छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की है। बिन्दू संख्या–2 की सूचना के सम्बध में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2996 दिनांक 24.9.2021 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से आज दिनांक तक 01.04.2018, 01.04.2019, 01.04.2020 व 01.04.2021 की वरिष्ठता सूची अभी जारी नहीं हुई है अतः वाछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है से अवगत कराया है। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक स्था0/ 3531 दिनांक 27.9.2021 के द्वारा बिन्दु संख्या–4 में चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के नियम 6(ख) के अनुसरण में आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा जबकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना हेतु आवेदन में सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या	

आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक स्था0/3531 दिनांक 27.9.2021 के द्वारा बिन्दु संख्या–1 में आवेदक द्वारा सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण पूर्व में सूचना नहीं दी गई। अपील में आवेदक द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 185 दिनांक 16.7.2021, 188 दिनांक 20.7.2021 एंव 194 दिनांक 24.7.2021 का स्पष्ट अंकन होने के कारण उक्त आदेशों की प्रमाणित छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की है। बिन्दू संख्या–2 की सूचना के सम्बध में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 2996 दिनांक 24.9.2021 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से आज दिनांक तक 01.04.2018, 01.04.2019, 01.04.2020 व 01.04.2021 की वरिष्ठता सूची अभी जारी नहीं हुई है अतः वाछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है से अवगत कराया है। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक स्था0/3531 दिनांक 27.9.2021 के द्वारा बिन्दु संख्या–4 में चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के नियम 6(ख) के अनुसरण में आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुये अनुरोध करेगा जबकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना हेतु आवेदन में सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। प्रभारी अधिकारी स्थापना एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग से प्राप्त सूचना रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर